उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-217/2017/3162/92-2-17-10जॉच/2016,

लखनऊ:: दिनांक:: 18 दिसम्बर, 2017

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

जनपद चित्रकूट में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत ग्राम कोपा, विकास खण्ड-मऊ (चित्रकूट) में केसी0 ड्रेन व सी0सी0 रोड के निर्माण कार्यों में की गयी अनियमितताओं के फलस्वरूप अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-चित्रकूट की जांच आख्या दिनांक 06.09.2016 के अनुसार रू0 2,56,333.00 की शासकीय क्षति हेतु प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-11/2017/2160/92-2-17-10(जांच)/2016, दिनांक 04.01.2017 द्वारा श्री एन0के0 त्रिपाठी, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-चित्रकूट सम्प्रति प्रभारी अधीक्षण अभियन्ता, परिमण्डल-मिर्जापुर को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुये उनके विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु मुख्य अभियन्ता(पश्चिमी क्षेत्र), ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया था तथा निलम्बन के फलस्वरूप श्री एन0के0 त्रिपाठी को कार्यालय निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्ध किया गया था।

2- इसी मध्य अपचारी अधिकारी, श्री एन0के0 त्रिपाठी अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण करके दिनांक 28.02.2017 को सेवानिवृत्त हो गये। तद्क्रम में अपचारी अधिकारी, श्री एन0के0 त्रिपाठी के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम'-7 के अन्तर्गत शासन के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 04.01.2017 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-52/2017/03मं0आ0/92-2-17-10(जांच)/2016, दिनांक 19.04.2017 द्वारा सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए में परिवर्तित किया गया ।

3- शासन के पत्र संख्या-128/92-2-2017-10(जांच)/2016, दिनांक 31.01.2017 द्वारा श्री एन0के0 त्रिपाठी के विरूद्ध अनुमोदित आरोप पत्र निर्गत करते हुए जांच अधिकारी से नियमानुसार जांच कर जांच आख्या 01 माह मे उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये। जांच अधिकारी/मुख्य अभियन्ता(पश्चिमी क्षेत्र), ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा अनुमोदित आरोप पत्र अपचारी अधिकारी श्री एन0के0 त्रिपाठी को दिनांक 01.02.2017 को तामील कराया गया। अपचारी अधिकारी द्वारा दिनांक 02.02.2017 से प्रथम एवं अनन्तिम तथा दिनांक 27.02.2017 को अन्तिम बचाव उत्तर जांच अधिकारी को प्रेषित किया गया, जो जांच अधिकारी को दिनांक 05.03.2017 को प्राप्त हुआ। जांच अधिकारी के पत्र दिनांक 23.03.2017 द्वारा अपचारी अधिकारी को व्यक्तिगत सुनवाई/प्रतिपरीक्षण की तिथि निर्धारित करते हुए उपस्थित होने के लिए अपेक्षा की गयी। अपचारी अधिकारी निर्धारित तिथि को जांच अधिकारी के समक्ष उपास्थित हुये। अपचारी अधिकरी श्री एन0के0 त्रिपाठी द्वारा दिनांक 23.03.2017 को जांच अधिकारी के समक्ष लिखित पत्र प्रस्तुत किया जिसमें इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सुनवायी न करने का अनुरोध किया।

4- जांच अधिकारी की जांच आख्या उनके पत्र दिनांक 24.04.2017 द्वारा शासन मे उपलब्ध करायी गयी। जांच अधिकारी की जांच आख्या में प्रमाणित पाये गये आरोपों के संबंध में शासन के पत्र दिनांक 29.05.2017 द्वारा अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन/अभिकथन मांगा गया, जो उनके पत्र दिनांक 30.06.2017 द्वारा शासन में उपलब्ध कराया गया।

5- अपचारी अधिकारी के विरूद्ध अधिरोपित आरोप, जांच अधिकारी की जांच आख्या, जांच आख्या मे प्रमाणित पाये गये आरोपों के संबंध में अपचारी अधिकारी के अभ्यावेदन व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त अपचारी अधिकारी श्री एन0के0 त्रिपाठी के विरूद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही में आरोप संख्या-1 तथा आरोप संख्या-3 आंशिक रूप से स्थापित पाया गया है जो निम्नवत है:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रखण्ड चित्रकूट के कार्य अवधि अवधि दिनांक 31.10.2014 से 22.08.2015 तक के मध्य उनके द्वारा डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत ग्राम-कोपा विकास खण्ड-मऊ में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन का निर्माण कार्य, जिसकी स्वीकृति लागत रू0 30.00 लाख थी, जिसका अनुबंध सं0-38/ईई/2014-15, दिनांक 31.03.2015 अनुबंध की कुल धनराशि रू0 27,12,488.30 मात्र थी, जो कि श्री संतोष कुमार पाण्डेय, पुत्र श्री दीनबन्धु पाण्डेय, ग्राम व पो0-छीबों के नाम गठित कर श्री मो0 शफीक, अवर अभियंता, ग्रामीण अभियत्रण विभाग, प्रखण्ड-चित्रकूट के द्वारा कराये गये कार्य का मापांकन करने के उपरान्त उनके द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता के पत्रांक-2435/ग्रा0अ0से0/नियोजन/92, दिनांक 05.11.1992 में निर्धारित ठेकेदारी प्रथा में कम से कम 5 प्रतिशत मापी चेक करने के निर्देश के उपरान्त भी कोई मापी चेक नही की गयी। निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक-जी-272/ग्रा0अ0वि0/ डा0लो0से0/चित्रकूट-84/2015-16, दिनांक 04.02.2016 के क्रम में मुख्यमंत्री संदर्भ से आच्छादित ग्राम कोपा की जांच करायी गयी जिसकी जांच अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-चित्रकूट धाम बांदा द्वारा दिनांक 06-09-2016 से जारी जांच आख्या में पाया गया कि कंक्रीट की वाटर सीमेंट रेशियों मात्रा अधिक होने एवं कंक्रीट मिक्स 1:2:4 (सीमेंट, कोर्स सेंट एवं स्टोन ग्रिट) ठीक न होने के कारण ऊपर की गिट्टी अधिकतम भाग में उखडी पायी गयी, जिससे स्पष्ट होता है कि निर्माण कार्य के समय उनके द्वारा निरीक्षण नही किया गया एवं कंक्रीट पेवमेंट कास्ट करने एवं काम्पैक्शन के तुरन्त बाद कंक्रीट के नाम-प्लास्टिक होने से पहले सतह की फ्लोट/कन्ने की मदद से फिनिश तथा स्टील अथवा फाइबर के ब्रुश से ब्रोमिंग/टैक्स्चरिंग किया जाना चाहिए था, जो कि नही किया गया। निर्मित गलियों में कान्स्ट्रक्शन ज्वाइंट भी निर्मित नहीं है, जिसके कारण निर्माण कार्य पूर्ण गुणवत्ता एवं मानक के अनुरूप नही पाया गया है जिसके लिये उनको उत्तरदायी पाया गया।

इसी प्रकार सी0सी0 रोड के किनारों की गोलाई, के0सी0ड्रेन का निर्माण निर्धारित ड्राइंग के अनुसार, सरफेश, बाईब्रेटर, पिन बाईब्रेटर का प्रयोग नही किया गया है। ग्राम कोपा का प्राक्कलन सं0-22, दिनांक 20.01.2015 में अंकित ग्रामों की गलियों का मापांकन कराये बिना प्राक्कलन को उनके द्वारा स्वीकृत किया गया। प्राक्कलन में दर्शायी गयी गलियों की लम्बाई एवं चौडाई में अन्तर पाया गया। उक्त कार्य के प्राक्कलन में मोरम के कार्य हेतु 5 गलियों में प्राविधान किया गया था, परन्तु जांच के समय मोरम नही पाई गयी, जैसा कि उक्त कार्य के जांच आख्या से स्पष्ट होता है। इस प्रकार माप पुस्तिका संखया-एल-12 के पेज नं0-72 एवं 73 के अनुसार मोरम की मात्रा 156.89 घन मीटर दर 1512.60 प्रति घन मी0 रू0 2,37,311.81 मात्र का भुगतान किया गया। प्राक्कलन के अनुसार निर्मित गलियों में ज्वाइंट फिलिंग का प्राविधान किया गया है, परन्तु जांच के समय किसी भी गली में ज्वाइंट फिलिंग का कार्य नही पाया गया, लेकिन उक्त माप पुस्तिका के अनुसार मात्र 308.90 मी0 दर 38.90 प्रतिमी0 से रू0 12,016.21 का भुगतान किया गया है। आर0सी0सी0 वर्क इन ड्रेन कवर मात्रा 0.70 घन मी0 दर 58.58 प्रति घन मी0 से रू0 4217.76 एवं स्टील वर्क इन कवर मात्रा 0.46 कुन्टल दर 60.60 प्रति कुन्तल से रू0 2787.60 इस प्रकार रू0 2,37,311.81, रू0 12016.21, रू0 2787.60 कुल रू0- 2,56,333.38 का भुगतान बिना निर्माण कार्य हुए किया गया है, जो कि पूर्णत: शासकीय धन की क्षति है। स्वेच्छाचारिता पूर्वक ठेकेदार से दूरभिसंधि करते हुये उनके द्वारा अधिक भुगतान कर शासकीय क्षति पहुंचाई गयी। प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्रांक-2474/62-3-09-88आरई/06, दिनांक 14.07.2009 में दिये गये आदेशानुसार कुल शासकीय क्षति की धनराशि रू0 2,56,222.00 मात्र के 50 प्रतिशत धनराशि रू0 1,28,167.00 मात्र के लिये संबंधित ठेकेदार उत्तरदायी/दोषी है तथा अवशेष धनराशि रू0 1,28,166.00 मात्र में 50 प्रतिशत रू0 64,083.00 मात्र के लिये अवर अभियंता तथा 35 प्रतिशत धनराशि रू0 44,858.00 के लिए सहायक अभियंता एवं 15 प्रतिशत धनराशि रू0 19,225.00 (अधिशासी अभियंता) जिसमें वे रू0 15,180.00 एवं श्री बालकृष्ण, अधिशासी अभियन्ता प्रख्ण्ड-चित्रकूट रू0 4045.00 के लिये उत्तरदायी/दोषी है। इस प्रकार से वे शासन की नीतियों की अवहेलना करते हुये विपरीत स्वेच्छाचारिता आचरण करने, कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 के नियम-3 कर्तव्य के प्रति निष्ठावान न होने, शासकीय क्षति पहुचाने के लिये उत्तरदायी पाया गया।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- श्री त्रिपाठी जो दिनांक 28.02.2017 को सेवानिवृत्त हो गयें है, जिससे उनके विरूद्ध प्रमाणित पाये गये आरोपों के संबंध में किसी प्रकार का प्रशासकीय दण्ड दिये जाने का औचित्य नहीं पाया गया किन्तु प्रश्नगत प्रकरण में परिलक्षित शासकीय क्षति रू0 2,56,333.00 में से अपचारी अधिकारी के अंश रू0 15,180.00 की वसूली श्री एन0के0 त्रिपाठी, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-चित्रकूट (प्रभारी अधीक्षण अभियन्ता, परिमण्डल-मिर्जापुर) सम्प्रति सेवानिवृत्त के सेवानैवृत्तिक देयकों यथा-पेंशन/ग्रेच्युटी से किये जाने का अनन्तिम दण्ड विनिश्चिय किया गया। तत्पश्चात अपचारी अधिकारी श्री त्रिपाठी के विरूद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही में शासन द्वारा विनिश्चित अनन्तिम दण्ड पर शासन के पत्र दिनांक 16.08.2017 द्वारा मा0 लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद से सहमति उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। तद्क्रम में मा0 लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद ने अपने पत्र दिनांक 21.11.2017 द्वारा शासन के प्रस्तावित अनन्तिम दण्ड "शासकीय क्षति रू0 15,180.00 (रूपये पन्द्रह हजार एक सौ अस्सी) की वसूली उनके सेवानैवृत्तिक देयकों यथा-पेंशन/ग्रेच्युटी से किये जाने पर सहमति व्यक्त की है।"

7- अतएव शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-11/2017/2160/92-2-17-10(जांच)/2016, दिनांक 04.01.2017 द्वारा श्री एन0के0 त्रिपाठी, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-चित्रकूट (प्रभारी अधीक्षण अभियन्ता, परिमण्डल-मिर्जापुर) सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही जिसे शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-52/2017/03मं0आ0/92-2-17-10(जांच)/2016, दिनांक 19.04.2017 द्वारा सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए में परिवर्तित किया गया में उन्हें निम्नवत् दण्ड देते हुये अनुशासनिक कार्यवाही को समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

"शासकीय क्षति रू0 15,180.00 (रूपये पन्द्रह हजार एक सौ अस्सी) की वसूली उनके सेवानैवृत्तिक देयकों यथा-पेंशन/ग्रेच्युटी से की जाय।"

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-217/2017/3162/(1)/92-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
2- श्री एन0के0, त्रिपाठी, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-चित्रकूट (प्रभारी (अधीक्षण अभियन्ता, परिमण्डल-मिर्जापुर) सम्प्रति सेवानिवृत द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रा0अ0वि0,उ0प्र0 लखनऊ।
3- जांच अधिकारी/मुख्य अभियन्ता, पश्चिमी क्षेत्र, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
5- अनु सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in